भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4009
(17 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत फर्जी जॉब कार्ड

4009. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बनासकांठा जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितनी मजदूरी का भुगतान लंबित है;
(ख) विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान मजदूरी भुगतान में औसतन कितना विलंब (दिनों में) हुआ है;
(ग) क्या जिले में फर्जी जॉब कार्डों की जब्ती, फर्जी मस्टर रोल या फर्जी लाभार्थियों के मामले सामने आए हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;
(ङ) क्या आधार आधारित भुगतान प्रणाली के मद्देनजर विशेषकर महिलाओं और प्रवासी कामगारों का कोई प्रत्यक्ष निष्कासन हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार का महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की मांग आधारित और अधिकार आधारित प्रकृति का पुनरुद्धार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। योजना के तहत, मजदूरी का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रोटोकॉल के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा किया जाता है। उचित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त निधि हस्तांतरण आदेशों (एफटीओ) के आधार पर मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से मजदूरी भुगतान के लिए दैनिक आधार पर स्वीकृतियां जारी की जाती हैं।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 12.03.2026 की स्थिति के अनुसार, गुजरात राज्य के मामले में मजदूरी घटक के लिए 114.34 करोड़ रुपये की देनदारी लंबित है।

योजना के तहत, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (11.03.2026 तक) में, मजदूरी घटक के लिए गुजरात को 810.68 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। चूंकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उचित प्रक्रियाओं के पालन के बाद निधि हस्तांतरण आदेश प्राप्त होने पर मंत्रालय द्वारा मजदूरी के भुगतान की स्वीकृति पीएफएमएस के माध्यम से दैनिक आधार पर जारी की जाती है, इसलिए निधि जारी करने की स्थिति दैनिक आधार पर अद्यतन होती रहती है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा जिलों को सीधे कोई निधि जारी नहीं की जाती है।

(ख): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत गुजरात, गुजरात का बनासकांठा जिले और राष्ट्रीय स्तर पर मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के अंदर जारी निधि हस्तांतरण आदेशों (एफटीओ) का प्रतिशत नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	गुजरात के बनासकांठा जिले में 15 दिनों के अंदर जारी एफटीओ का प्रतिशत	गुजरात में 15 दिनों के अंदर जारी एफटीओ का प्रतिशत	राष्ट्रीय स्तर पर 15 दिनों के अंदर जारी एफटीओ का प्रतिशत
2022-23	90.59	94.72	92.5
2023-24	99.72	99.63	97.87
2024-25	99.92	99.86	97.05

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)

(ग) एवं (घ): गुजरात राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है।

(ङ): गुजरात राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है।

(च): दिसंबर 2025 में, संसद ने विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी जी-राम-जी) अधिनियम, 2025 पारित किया। महात्मा गांधी नरेगा, 2005 को प्रतिस्थापित करने वाले इस अधिनियम का उद्देश्य, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिनों का अकुशल मजदूरी रोजगार प्रदान करना है।

इसके अलावा, यह उल्लेखनीय है कि विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी जी-राम-जी) अधिनियम, 2025 का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण विकास ढांचे को 'विकसित भारत @2047' के राष्ट्रीय विजन के अनुसार करना है। इसके लिए उन ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों की बढ़ी हुई वैधानिक मजदूरी रोजगार की

गारंटी प्रदान की जाएगी जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों, जिससे वे विस्तारित आजीविका सुरक्षा ढांचे में अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सकें। चूंकि विकसित भारत जी राम जी कार्यक्रम की मांग-आधारित प्रकृति को बनाए रखता है, इसलिए श्रमिक इस अधिनियम के तहत दी गई 125 दिनों की गारंटी का लाभ उठाने के हकदार हैं।
